मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11–37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन तथा मार्गदर्शन के संबंध में।

संदर्भः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी परिपत्र क्र. एफ 11–37/2005/एक/9, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 एवं 14 अक्टूबर, 2005, अधिसूचना क्रमांक 542(असाधारण) दिनांक 10 नवम्बर 2005 एवं अधिसूचना क्रमांक 543 (असाधारण) दिनांक 10 नवम्बर, 2005.

––––––

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावशील हो गया है। इस संबंध में उपरोक्त सदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देश प्रसारित किए गये हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार विसंगतियॉ दृष्टिगोचर हुई हैं:–

1. अधिनियम की धारा–7 की उपधारा–8 अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के संबधं में जारी पत्र/आदेश में आवेदन को अमान्य करने के कारणों, समयावधि जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा विहित प्राधिकारी को अपील की जा सके तथा अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पते का विवरण दिया जाना आवश्यक है। लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 की उपधारा–3 में प्रावधान है कि यदि प्राप्त आवेदन की जानकारी किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है अथवा जानकारी की विषयवस्तु अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबद्ध है तो उक्त आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को 5 दिन के अंदर अंतरित किया जावेगा, परंतु मंत्रालय स्तर पर विभिन्न विभागों में नामांकित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उसी विभाग की अन्य शाखा से संबंधित आवेदन को संबंधित शाखा को अंतरित कर आवेदक को संबंधित

शाखा से जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। विभाग विशेष के लोक सूचना अधिकारी को संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध करानी है।

3. विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील सुनी जाएगी एवं अपील का निराकरण करते समय अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कारणों सहित सुस्पष्ट आदेश (Speaking Order) जारी किया जाएगा। कुछ ऐसे प्रकरण जानकारी में आए हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी से आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने या न कराने बावत् नोटशीट पर अनुमोदन लिया गया है एवं तत्पश्चात उसी प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निराकरण किया गया है। इस तरह की प्रक्रिया उचित न होकर नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

4. कुछ विभागों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों से नकद राशि न प्राप्त करते हुए नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लाने हेतु मजबूर किया जा रहा है। इस संबंध में सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 3, 4, 5, 7 एवं 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि फीस अथवा सूचना की लागत नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ–साथ संबंधित कार्यालय में नकद रूप में (एमपीटीसी की रसीद काटकर) भी जमा की जा सकती है। अतः प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. कुछ विभागों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यह कहकर आवेदन को अमान्य किया गया है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 के साथ संलग्न आवेदन पत्र का प्रारूप सुविधा के लिए नमूना मात्र है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के प्रावधान अनुसार आवेदक सादे कागज पर भी संपर्क का पता एवं चाही गई जानकारी का विवरण देकर आवेदन कर सकता है एवं इस आवेदन को मान्य किया जाना है।

6. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में कई विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहे जा रहे हैं। मार्गदर्शन के मुख्य मुद्दे एवं अधिनियम/नियम अनुसार वस्तुस्थिति परिशिष्ट–एक में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न– परिशिष्ट–एक

(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–37 / 2005 / एक / 9 भोपाल, दिनांक 06 फरवरी, 2006

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर / खंडपीठ ग्वालियर / इंदौर,
13. प्रमुख सचिव / सचिव / अपर सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट–एक

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन के संबंध मार्गदर्शन के मुख्य मुद्दे एवं अधिनियम/नियम के प्रावधान अनुसार वस्तुस्थिति

क.	मागदर्शन का बिंदु	वस्तुस्थिति
1	गोपनीय प्रतिवेदन की प्रतियॉ दी जाना है अथवा नहीं ?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में ''सूचना'' एवं 2(आई) में ''अभिलेख'' परिभाषित हैं एवं गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(जे) का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जिसमें उल्लेख है कि सूचना, जो कि व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है एवं जिससे व्यक्ति की निजता (Privacy) पर अनावश्यक अतिकमण होता हो, ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं है। गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति इसी श्रेणी में आती है। अतः लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि गोपनीय प्रतिवेदन का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना बंधनकारी नहीं है।
2.	विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण दिया जाना है अथवा नहीं ?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में ''सूचना'' एवं 2(आई) में ''अभिलेख'' परिभाषित हैं एवं पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। यह अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अधीन प्रदाय के बंधन से मुक्त नहीं है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत एवं पदोन्नति आदेश पूर्ण या आंशिक रूप से जारी किए जाने के उपरांत कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराने/अवलोकन कराने

		में आपत्ति नहीं है। परंतु लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाही विवरण के मूल्यांकन पत्रक का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना अधिनियम की धारां 8(जे) के अंतर्गत बंधनकारी नहीं है। अतः पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण के साथ सामान्यतः मूल्यांकन पत्रक का अवलोकन/प्रदाय न किया जाए।
3	नोटशीट की प्रति उपलब्ध कराई जानी है अथवा नहीं ?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में ''सूचना'' एवं 2(आई) में ''अभिलेख'' परिभाषित हैं एवं नोटशीट की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। अतः यदि नोटशीट उक्त जानकारी से संबंधित नहीं है, जो कि अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के तहत प्रदाय के बंधन से मुक्त हैं, उन नोटशीटों की प्रति उपलब्ध कराने/अवलोकन कराने में आपत्ति नही है।
4	एक जिले के गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को दूसरे जिले में फीस/लागत से छूट की पात्रता है अथवा नहीं ?	सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 की कंडिका–2 में ''गरीबी रेखा के नीचे'' की परिभाषा अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को पूरे मध्यप्रदेश में फीस/लागत में छूट की पात्रता रहेगी।
5	गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति की पुष्टि हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाए ?	गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति की पुष्टि बावत् इस हेतु जारी कार्ड की सत्यापित प्रति प्राप्त किया जाना पर्याप्त प्रमाण होगा।
6	सूचना का अधिकार(फीस एवं अपील) नियम(प्रथम संशोधन), 2005 के संशोधन (2) अनुसार नियम (5)(1) में वाक्य ''ऐसे आवेदक द्वारा'' के पश्चात ''जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं'' के विलोपन से क्या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से भी सूचना	विषयांकित संशोधन के उपरांत भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को फीस एवं सूचना की लागत के संबंध में छूट यथावत है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा 5 के परंतुक अनुसार अधिनियम में ही फीस एवं सूचना की लागत में छूट का प्रावधान है। इस प्रकार उपरोक्त संशोधन के पूर्व एवं संशोधन के उपरांत भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से नमूने की लागत के अतिरिक्त अन्य कोई फीस देय नहीं है।

	की लागत ली जानी है ?	
7	ऐसी सहकारी सोसाइटियॉ, जो कि राज्य/केन्द्र शासन की प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निधियों से वित्त पोषित नहीं है, इस अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएंगी अथवा नहीं ?	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) में ''पब्लिक अथॉरिटी'' परिभाषित है। उक्त परिभाषा के अनुसार ऐसी सहकारी सोसाइटियॉ, जो कि राज्य/केन्द्र शासन की प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष निधियों से वित्त पोषित नहीं हैं, पर यदि अधिनियम की धारा 2(एच)(ए से डी) के तहत स्थापित या गठित की गई हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएगी।
8	पटवारी चयन परीक्षा/अन्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति संबंधित परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी आवेदक को प्रदाय की जा सकती है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में ''सूचना'' एवं 2(आई) में ''अभिलेख'' परिभाषित हैं एवं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(जे) का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जिसमें उल्लेख है कि सूचना, जो कि व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है एवं जिससे व्यक्ति की निजता (Privacy) पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो, ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं है। किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका की प्रति इसी श्रेणी में आती है। अतः लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि उत्तर पुस्तिका का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना बंधनकारी नहीं है।